

फर्द अहकाम

राजशुल्क बनाना बनावत कच्चा १११०

नाम न्यायालय -

SDO जागी

केस संख्या १६/२०१६

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	२९/५/१७	<p><b>सुनश्च:</b></p> <p>आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान २०१७ राजस्व कैम्प कोर्ट ..... जागी ..... में पेश हुई, पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल हो चुके है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निधारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा २१२ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर १०२७, १०२८/१, १०२८/२, १०२९, १०३०, १०३१, १०३२/२, १०३२/१/१ किला- ८ रकबा ३२-१० बीघा</p> <p>कुल रकबा ..... वाके ग्राम ..... जागी इलाहाबाद तहसील ..... जागी जिला जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी नही करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	